वित्तीय स्वीकृति

संख्या-10/2018/847/52-3-17-बजट(8)/2018

प्रेषक,

भवेश रंजन,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2018

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-45/अ0स0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/ 2018-19, दिनांक 05.04.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 के प्रस्तर-2(4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति के लिए चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 49.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु रू0 24,79,000/-(रू0 चैबिस लाख उन्नासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतिया निम्न प्रकार हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वर्ष 2018-19 में प्राविधानित आय-व्ययक प्राविधान	आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि
1	01 वेतन	24.45	12.23
2	02 मजदूरी	0.20	0.10
3	03 मंहगाई भत्ता	2.45	1.23
4	04 यात्रा व्यय	2.00	1.00
5	06 अन्य भत्ते	1.47	0.74
6	07 मानदेय	5.45	2.73
7	08 कार्यालय व्यय	0.55	0.28
8	0.5011 लेखन सामग्री और फार्मों0.50 की छपाई	0.28	0.14
9	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	0.50
10	13 टेलीफोन पर व्यय	0.23	0.12
11	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.50	0.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

12	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	4.00	2.00
13	18 प्रकाशन	0.50	0.25
14	42 अन्य व्यय	0.50	0.25
15	45 अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.05
16	कम्प्यूटर हा0सा0क्रय	0.50	0.25
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.25
18	49 चिकित्सा व्यय	0.12	0.06
19	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.72	2.36
	योग	49.52	24.79

3- वित्तीय वर्ष 2018-19 में रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृति बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 धनराशि रू0 49.52 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त हेतु 24,79,000/-(रू0 चैबिस लाख उन्नासी हजार मात्र) निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को 31.10.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

5- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-06 रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0, इलाहाबाद की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस -2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

संख्या-847(1)/52-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।
5-वित्त (ई-4) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक/गार्ड फाईल।
6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(भवेश रंजन)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।